



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/93/2020- 598

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमती किरण सिंह,
पति—श्री पंकज कुमार सिंह,
ग्राम—मखनाही, पोस्ट—बरियोल,
थाना—सदर, जिला—दरभंगा—846005

पटना 14, दिनांक— 27/08/2024

विषय— श्रीमती किरण सिंह द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत मखनाही ग्राम के खाता संख्या—81, 244, खेसरा संख्या—2326 (पु.), 2327 (पु.), 2394 (न्यू), 2343 (पु.), 2400 (न्यू), थाना—सदर, पोस्ट—बरियोल, SH-75 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01245 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/46397/2020/4461, दिनांक 19.01.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 119, दिनांक 05.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/46397/2020/4461, दिनांक 19.01.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1-6 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित हैं। तदालोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया है। लगभग 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभी तक आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जो खेदजनक है।

2. इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आकलन रु. 292 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु. 410 प्रति मा.दि. किया गया है।

अतएव सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या-A के कंडिका संख्या-1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,94,632/- (आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 410 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतान होगा।

3. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा NPV मद की दर में संशोधन किया गया है। तदालोक में सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग-A के कंडिका संख्या-2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल- 0.01245 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 11,924/- (ग्यारह हजार नौ सौ चौबीस रुपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,94,632.00 (+) रु. 11,924.00 अर्थात् कुल रु. 9,06,556.00 (नौ लाख छः हजार पाँच सौ छप्पन रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाइट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-6 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
27/08/24
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC- 598

दिनांक 27/08/2024

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 410/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

27/08/24
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC- 598

दिनांक 27/08/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/08/24
(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।